न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ जिला डीग
इजलाश श्री सुनील कुमार झिंगोनिया आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी कामाँ

मुकदमा नं0 05/2023

1– शेर मौहम्मद पुत्र जुम्मा जाति मेव निवासी ग्राम नगला शहजाद तहसील कामां जिला (डीग) राज0

सायल

बनाम

1–जुम्मा पुत्र घोसी जाति मेव निवासी ग्राम नगला शहजाद तहसील कामां जिला डीग प्रान्त राजस्थान।

2–मौहम्मद पुत्र जुम्मा जाति मेव निवासी नगला शहजाद तहसील कामां जिला डीग प्रान्त राजस्थान।

गैरसायल

उपस्थित अधिवक्ता

1– सायल अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा एवं बृजलाल शर्मा।

2– गैर सायलान अधिवक्ता श्री बाबूलाल शर्मा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

निर्णय

दिनांक 28.06.2024

सायल अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 326/0.09, 339/0.16, 348/0.15, 457/0.19, 54/0.16, 61/0.09, 614/0.03, 62/0.08, 63/0.08, किता 9 रकवा 1.03 हैक्टर का 1/4 हिस्सा आराजी खसरा नम्बर 322/0.51, 55/0.32, 56/0.33, 69/0.21, 89/0.21 किता 5 रकवा 1.58 हैक्टर का 1/24 हिस्सा आराजी खसरा नम्बर 60/0.25, का 1/9 हिस्सा वाके ग्राम नगला शहजाद आराजी खसरा नम्बर 1251/0.25, 1260/0.44, 1273/0.52 का सालिम हिस्सा खसरा नम्बर 1274/0.48 का 1/4 हिस्सा वाके ग्राम मुसेपुर आराजी खसरा नम्बर 1074/0.67 का 1/4 हिस्सा व 996/0.20 का 1/3 वाके ग्राम उंधन तहसील कामां में स्थित है। सायल एवं असल गैरसायलान तथा तरतीवी प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य तथा आराजी मुत0 वर्णित मद नं0 2 प्रार्थना पत्र संयुक्त परिवार की पैत्रिक सम्पत्ति व उसकी आय से अर्जित आराजी है जो कि गैरसायल नं0 1 के नाम संयुक्त परिवार का मुखिया होने के कारण बाबा घोसी से राजस्व रिकॉर्ड में विरासत के आधार पर गैरसायल नं0 1 के नाम दर्ज हो रही है। सबूत में नकल दा0खा0 नं0 95 पेश है। सायल व गैरसायलान व तरतीवी प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त परिवार के असल गैरसायल नं0 1 की सन्तान व वारिसान

है जो कि आराजी मुताबिया को संयुक्त परिवार में रहते हुए काश्त करते चले आ रहे हैं व तरतीवी प्रतिवादीगण की शादी हो जाने के बाद वे अपनी सुसराल में रह रही है। सायल व असल गैरसायलान का एक ही संयुक्त परिवार में रहते हए जीवन यापन करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। आये दिन झगडा फिसाद होता रहता है। जिसके सबब उसका हिस्सा अलग करने को कहा तो साफ इन्कार कर दिया। विधि वजह सायल दावीदार एवं अपने हक हकूकों के तहत जरिये अदालत आराजी खसरा नम्बर 326/0.09, 339/0.16, 348/0.15, 457/0.19, 54/0.16, 61/0.09, 614/0.03, 62/0.08, 63/0.08 हैक्टर वाके ग्राम नगला शहजाद के 1/4 हिस्सा में से 1/28 हिस्सा पर सायल, 1/28 हिस्सा पर गैरसायल नं0 1 को, 1/28 हिस्सा पर गैर सायल नं0 2 को, 1/28 हिस्सा पर तरतीवी प्रतिवादी नं0 4 को, 1/28 हिस्सा पर तरतीवी प्रतिवादी नं0 5 को, 1/28 हिस्सा पर तरतीवी प्रतिवादी नं0 6 को, 1/28 हिस्सा पर तरतीवी प्रतिवादी संख्या 7 को व खसरा नम्बर 322/0.51, 55/0.32, 56/0.33, 69/0.21, 89/0.21, वाके ग्राम नगला शहजाद के 1/24 हिस्सा में से 1/168 हिस्सा पर सायल को व गैरसायल नं0 1, 2 तथा तरतीवी प्रतिवादी नं0 4, 5, 6, 7 को वाहिस्सा 1/168 व आराजी खसरा नम्बर 60/0.25 वाके ग्राम नगला शहजाद के 1/9 हिस्सा में से 1/63 सायल को, गैरसायल नं0 1, 2 को व तरतीवी प्रतिवादी नं0 4, 5, 6, 7, को वाहिस्सा 1/63 तथा आराजी खसरा नम्बर 1251/0.25, 1260/0.44, 1273/0.52, वाके ग्राम मूसेपुर के 1/7 हिस्सा पर सायल को, गैरसायल नं0 1, 2 को व तरतीवी प्रतिवादी नं0 4, 5, 6, 7, को वाहिस्सा 1/7 व खसरा नम्बर 1274/0.48, वाके ग्राम मूसेपुर के 1/4 हिस्सा में से 1/28 हिस्सा पर सायल व गैरसायल 1, 2, को एवं तरतीवी प्रतिवादी 5, 6, 7, को आराजी वाहिस्सा 1/28 व खसरा नम्बर 1074/0.67, 996/0.20 वाके ग्राम उंधन के 1/2 हिस्सा में से 1/14 हिस्सा पर सायल, गैरसायल नं0 1, 2 व तरतीवी प्रतिवादी 4, 5, 6, 7 को वाहिस्सा 1/14 खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है। गैरसायलान के दिल में गैरसायलान 1 से सायल व तरतीवी प्रतिवादीगण को विरासतन प्राप्त होने वाली हिस्सा आराजी के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से बदयान्ती आ गयी है जिसके सबब गैरसायल नं 2 व 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाने के गरज गैरसायल नं0 2 सम्पूर्ण आराजी को गैरसायल नं0 1 से अपने नाम परिवर्तन कराने व दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल करा राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन कराने की फिराक में है। अतःगैरसायलान ताफैसला मुकदमा आराजी मुत0को रहनवय मुन्तकिल नहीं करें राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे एवं आराजी मुत0के सम्बन्ध में ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे हकूक सायल जायल हो।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जबाव पेश किया कि आराजी मुतदाविया खसरा नम्बर 996/0.20 जिसका पुराना नम्बर 697/2 को जरिये पंजीकृत बयनामा बरकत पुत्र मोतीराम

कौम राजपूत से दाखिल खारिज नं0 334 से दिनांक 19/02/75 को तस्दीक हुआ नकल पेश है। आराजी खसरा नम्बर 1074 जिसका पुराना खसरा नम्बर 750 को मम्मल पुत्र इमामखां इस्माइल पुत्र लाजू से जरिये पंजीकृत बयनामा खरीद कर इन्तकाल नं0 906 से तस्दीक हुआ है उक्त दोनों नम्बर ग्राम उंधन में है नकल इन्तकाल पेश है । इसी कदर ग्राम मूसेपुर की समस्त आराजीयात जरिये पंजीकृत बयनामा खरीद की । आराजी खसरा नम्बर 1273 जिसका पुराना नम्बर 1044 मिन को जरिये बयनामा भीदान खां पुत्र छज्जू मेव से खसरा नम्बर 1274 जिसका पुराना नं0 1044 मिन मु0 शन्ति जोजा चुन्नी लाल कौम खत्री से व खसरा नम्बर 1251 का पुराना खसरा नम्बर 1042 मिन को सुन्दरदास पुत्र गोविन्द दास कौम खत्री से व खसरा नम्बर 1260 जिसका पुराना खसरा नम्बर 830 को जरिये बयनामा मुस0 सुमित्रा देवी बेबा गिरधारी लाल व उसके वारिसान से खरीद किया उक्त सभी खसरा नम्बर की दाखिल खारिज की नकल प्रमाणित किता 6 पेश है । गैरसायल नं0 एक ने मजदूरी व खेतीबाडी बटाई पर कर अपना घरेलू खर्च कम कर पैसे बचाकर जैसे तैसे जमीन खरीद की है जो गैरसायल नं0 की निजी स्वंय की आर्जित आय से खरीद की है । इसलिए गैरसायल नं0 1 अपनी निजी आराजी को रहन वय मुन्तकिल करने एवं हिबा (दान पत्र) करने या वसीयत करने के लिए स्वतंत्र है । सायल गैरसायल नं0 एक को पाबन्द नही कर सकता। इसलिए प्रार्थना पत्र सायल काबिले खारिजी है ।

प्रार्थी अधिवक्ता व अप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में लिखित तथ्यों को दोहराया कि गैरसायलान के दिल में गैरसायल नं0 1 से सायल व तरतीवी प्रतिवादीगण को विरासतन प्राप्त होने वाली हिस्सा आराजी पर पूर्ण रूप से बदयान्ती आ गयी है जिसके सबब गैरसायल नं0 2 गैरसायल नं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो रहे इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाने की गरज से गैरसायल नं0 2 सम्पूर्ण आराजी को गैरसायल नं0 1 से अपने नाम परिवर्तन कराने व दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल करा राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन कराने की फिराक में है। अतः गैरसायलान को ताफैसला राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जावे। गैरसायलान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि गैरसायल नं0 1 ने मजदूरी व खेती बाडी बटाई पर अपना घरेलू खर्च कम कर पैसे बचाकर जमीन खरीद की है। इसलिए गैर सायल नं0 1 अपनी निजी आराजी को रहन वय मुन्तकिल करने एवं हिबा (दान पत्र) करने या वसीयत करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए सायल, गैरसायल नं0 01 को ताफैसला राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द नहीं करा सकते है। इसलिए प्रार्थना पत्र सायल खारिज किया जावे ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उपलब्ध दस्तावेज व बहस उभय पक्षकारान को सुना। प्रथम दृष्टया गैर सायलान रिकॉर्डेड खातेदार हैं एवं प्रथम दृष्टया भूमि पर

कब्जे में हैं इसलिए अप्रार्थीगण को ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में उचित नहीं है साथ ही प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कोई भी दस्तावेज व साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में हो। अतः प्रथम दृष्टया व सुविधा का सतुंलन गैरसायलान के पक्ष में प्रतीत होता है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 को अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 को अस्वीकार किया जाता है। प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर वाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय सरे इजलाश पढकर सुनाया गया।

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
कामाँ जिला भीग

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भीग) राज०